न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 25/19
(जीसीएमएस संख्या 2019/00311)

निर्णय दिनांकः–26-08-25

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री राम प्रताप जाति जाट निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. देवकिशन पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
3. विष्णुदत पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
4. मु. मुली देवी बेवा कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
5. किरण पुत्री कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
6. मोहिनी पुत्री कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
7. दुलीचंद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी चांदमल जी के बाग के सामने, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर।
8. तोलाराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
9. गवरा पत्नी तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
10. मंगतु पुत्र तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

11. चनणा पुत्री तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
12. अखी देवी तथाकथित पत्नी तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
13. बाधुदेवी पुत्री तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
14. भगवती पुत्री तुलछा पत्नी मोहनराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
15. जेठी पुत्री तुलछा पत्नी ईशरराम जाति माली निवासी धावड़ियो का बास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
16. बरजी पुत्री तुलछा पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी बागीनाड़ा हनुमान मंदिर के पास, रानीबाजार, जिला बीकानेर।
17. सुन्दर पुत्री तुलछा पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी बागवानों का मोहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
19. जयदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर।
20. राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर।
21. महावीर प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ए 104 करणीनगर, बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 28—08—2019
अपील संख्या 67/18 राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 26/19 **निर्णय दिनांकः—**
(जीसीएमएस संख्या 2019/00312)

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री राम प्रताप जाति जाट निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—प्रार्थी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–बनाम–

1. देवकिशन पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
3. विष्णुदत पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
4. मु. मुली देवी बेवा कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
5. किरण पुत्री कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
6. मोहिनी पुत्री कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
7. दुलीचंद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी चांदमल जी के बाग के सामने, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर।
8. तोलाराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
9. गवरा पत्नी तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
10. मंगतु पुत्र तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
11. चनणा पुत्री तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
12. अखी देवी तथाकथित पत्नी तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
13. बाधुदेवी पुत्री तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, जिला बीकानेर।
14. भगवती पुत्री तुलछा पत्नी मोहनराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।
15. जेठी पुत्री तुलछा पत्नी ईशरराम जाति माली निवासी धावड़ियो का बास, पुरानी गिन्नाणी, जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16. बरजी पुत्री तुलछा पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी बागीनाड़ा हनुमान मंदिर के पास, रानीबाजार, जिला बीकानेर।
17. सुन्दर पुत्री तुलछा पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी बागवानों का मोहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
19. जयदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर।
20. राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर।
21. महावीर प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ए 104 करणीनगर, बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय दिनांक 28—08—2019
अपील संख्या 68/18 राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 6
3.. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 9

—निर्णय—

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—08—2019 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की गई है, के विरुद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. दोनों प्रार्थना—पत्र में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों रिव्यु प्रार्थना—पत्रो का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए कथन किया कि आराजी ख.नं. 739 तादादी 56.10 बीघा व ख.नं. 763 तादादी 55.10 बीघा कुल तादादी 112 बीघा ग्राम कानासर तहसील बीकानेर में स्व. तुलछा का 1/3 हिस्सा रहा हैं, स्व. श्री तुलछा के वारिशान में से जेठी (अप्राथी सं. 15), बरजी (अप्राथी सं. 16) व सुन्दर (अप्राथी सं. 17) का अविभाजित हिस्सा 1/3 का 1/2 हिस्सा की भूमि 18 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थी द्वारा जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 17/03/2008 उपपंजीय, बीकानेर से कय की थी। विकेतागण द्वारा बरवक्त विक्रय अपने सहखातेदारान् के वर्षों पूर्व हुए भाई बंटवारा के अनुसार अपनी मौके पर काबिज भूमि ख.नं. 739/2 तादादी 9 बीघा 8 बिस्वा व ख.नं. 763/2 तादादी 9 बीघा 6 बिस्वा ग्राम कानासर का मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी को करवा दिया गया। आराजी जैर में बंटवारा अनुसार काबिज भूमि का खाता व लगान अपने नाम अलग कायम करवाने हेतु प्रार्थी ने न्यायालय सहायक आयुक्त (उपनिवेशन) बीकानेर प्रथम में दावा बाबत खाता तकसीम करवाने पेश किया गया जो राजस्व वाद सं. 38/09 दिनांक 14/07/2009 को निर्णित किया जाकर प्रार्थी की भूमि ख.नं. 739/2 तादादी 9 बीघा 8 बिस्वा व ख.नं. 763/2 तादादी 9 बीघा 6 बिस्वा प्रार्थी के नाम से दर्ज कि जाने का आदेश दिया गया था। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हुआ। खाता तकसीम होने के बाद प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में से ख. नं. 763/2 की 9990 वर्गमीटर भूमि दिनांक 11/09/2009 को श्रीमान् सहायक आयुक्त, कोलायत से औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाकर सन् 2009 में ही POP उद्योग स्थापित कर लिया गया। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी गत 10 वर्ष से अधिक समय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हैं जिस पर प्रार्थी की फर्म मैसर्स डी.आर. इण्डस्ट्रीज की औद्योगिक ईकाई चल रही हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे बहस करते हुए कथन किये कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 द्वारा अनावश्यक रूप से कई अन्य अनावश्यक / गलत पक्षकारों को संयोजित किया जा कर प्रार्थी की भूमि को औद्योगिक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रयोजनार्थ भू संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11/09/2009 के विरूद्ध अपील सं. 67/2018 न्यायालय हाजा में पेश की गई तथा एक अन्य अपील सं. 68/2018 खाता तकसीम डिकी दिनांक 14/07/2009 के विरूद्ध भी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई जो दोनों अपीलें मियाद बाधित थी। उक्त दोनो अपीलों में बिना प्रार्थी को नोटिस सूचना, के बरवक्त बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर के बहस में शामिल होने से इंकार कर दिया, जिसका अंकन न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय अपील सं. 68/18 के पैरा सं. 4 में किया गया हैं। न्यायालय हाजा द्वारा भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा No Instruction Pleaded के पश्चात् बिना प्रार्थी को नोटिस / सूचना दिये उसी वक्त दोयम अपील को मेरिटस् पर सुना जाकर निर्णय जैर अपील नजरसानी प्रदत्त किया गया जिससे व्यथित होकर नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय हाजा के समक्ष बिना प्रार्थी को नोटिस, सूचना दिये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा No Instruction जाहिर किया गया गया जिसका अंकन स्वयं न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय अपील सं. 68/2018 के पैरा सं. 4 में किया हैं। ऐसी सूरत में बिना विधिक प्रावधानों का अवलोकन /अनुकरण किये तुरन्त ही अपीलांटान् व प्रर्फोमा रेस्पॉडेन्टान् की बहस सुनी जाकर निर्णय जैर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रदत्त किये जाने में अदालत मातहत द्वारा अहम विधिक भूल हुई हैं। अपीलांटान् द्वारा स्वीकृत रूप से पक्षकारान् के मध्य बाहमी बंटवारा वर्षों पूर्व से है वे बाहमी बंटवारा अनुसार ही सभी पक्षकारान् दावा वर्षों से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में खाता तक्सीम डिकी के 10 वर्ष पश्चात् अपीलांटान् द्वारा काल्पनिक रूप से स्वनिर्मित नक्शा के साथ प्रस्तूत अपील को स्वीकार किये जाने में अदालत मातहत द्वारा अहम गलती हुई हैं जबकि प्रार्थी के विक्रेतागण द्वारा वास्तविक बाहमी बंटवारा में प्राप्त अपनी भूमी ख. नं. 739/2 तादादी 9 बीघा 8 बिस्वा व ख. नं. 763/2 तादादी 9 बीघा 6 बिस्वा जिस पर प्रार्थी के विक्रेतागण वर्षों से भौतिक रूप से काबिज थे व प्रार्थी को 10 वर्ष पूर्व ही विक्रय कि जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। जिस पर प्रार्थी खरीद के समय से ही मुतवातिर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी की आराजी का एक बड़ा हिस्सा 10 वर्ष पूर्व से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरित हैं। जिस पर प्रार्थी की फर्म

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मैसर्स डी. आर इण्डस्ट्रिज की औद्योगिक इकाई गत 10 वर्ष से चल रही हैं। दोयम अपीलजात के संयुक्त अध्ययन से उपरोक्त तमाम तथ्य अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अनदेखी होने के कारण निर्णय नजरसानी योग्य हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी नजरसानी प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 67/2018 व 68/2018 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें प्रार्थी को बिना सूचना अधिवक्ता द्वारा नो इस्ट्रक्शन जाहिर करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सूचना दिये अपीलो में निर्णय पारित कर दिया। इस लिए इनके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रिव्यु का स्कॉप तीन शर्तो पर निर्भर करता है– डिस्कवरी ऑफ न्यु फैक्ट्स, ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फैस ऑफ रिकॉर्ड व अदर सफिस्यन्ट रिजन। प्रार्थी तीनो शर्तें ही पूर्ण करता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन का दावा था। प्रार्थी अपीलाधीन आराजी में सहखातेदार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आरआरटी 2022(2) पेज 255** प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्येक सहखातेदार को खाता विभाजन का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता तकसीम कर दिया गया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा विभाजित रकबा संपरिवर्तित करवा लिया गया। वर्ष 2009 में यहॉ फैक्ट्री लगा ली गई तथा पिछले 10 वर्षों से फैक्ट्री चल रही है। अपील में डिक्री की पालना रोकने का आदेश नही हुआ। डिक्री के 10 वर्ष उपरान्त डिक्री की पालना में अपीलाधीन आराजी में भौतिक परिवर्तन हो चुके है जिनका ध्यान अपील निर्णय में रखा जाना चाहिए था। परन्तु न्यायालय द्वारा इस पर गोर नही किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1960 जे एण्ड के पेज 125 प्रस्तुत किया। आगे बहस में कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रक्शन प्लीड करने पर न्यायलय को प्रार्थी को नोटिस भेजना चाहिए था। जो कि न्यायालय द्वारा नही भेजे गये। यह " इग्नोरेश ऑफ लॉ" की श्रेणी में आता है। यह एक आज्ञापक प्रावधान है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **डीएनजे 1998 पेज 335, आरबीजे 2004 पेज 42, सुप्रीम कोर्ट 1998 पेज 258** पेश किये। अधिवक्ता प्रार्थी ने आदेश 3 नियम 4 सीपीसी तथा **एआईआर 1992 पेज 165 उडिसा** न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए कथन किये कि प्रकरण में रिव्यु के समस्त ग्राउण्ड उपलब्ध है। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मियाद पर बहस करते हुए कथन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी मियाद एक माह उल्लेखित है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ में संलग्न है। न्यायिक दृष्टांत **आरआरडी 1975 पेज 408** का हवाला देते हुए कथन किये कि जहॉ मामला प्राईवेट पक्षकारो के बीच में हो वहॉ रिव्यु की मियाद 90 दिन होगी। आगे बहस में कथन किये गये कि न्यायालय द्वारा एक अपील का निर्णय दूसरी के आधार पर कर दिया गया है। कन्वरर्जन की अपील को गुणावगुण पर निर्णित नही किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आरएलडब्ल्यु 1954 पेज 148, आरआडी 1969 पेज 467, आरआरटी 2022(2) पेज 855, आरआरडी 1978 पेज 101, आरआरडी 1986 पेज 694, आरआरडी 1971 पेज 108, एआईआर 1960 जे एण्ड के पेज 125 पेरा 10 व 11, डीएनजे 1998 पेज 335, आरबीजे 2004 पेज 42, एआईआर 1998 पेज 258, एआईआर 1981 पेज 332, एआईआर 1998 पेज 111, एआईआर 1992 पेज 165 आरआरडी 1991 पेज 283, एआईआर 2003 पेज 106, आरआरडी 1975 पेज 408, एआईआर 1960 पेज 81, आरआरडी 1974 पेज 271** पेश करते हुए नजरसानी प्रार्थना स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने कथन किये कि प्रार्थी द्वारा रिव्यु का मुख्य आधार नो इन्ट्रक्शन को लिया गया है परन्तु उन्होने यह नही बताया कि अधिवक्ता ने यदि पक्षकार को सूचना नही दी तो पक्षकार ने न्यायालय को क्यो नही बताया तथा अधिवक्ता पर क्या कार्यवाही की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष दिनांक 18–06–2009 को वाद प्रस्तुत हुआ। दिनांक 13–07–2009 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और दिनांक 13–07–2009 को ही पत्रावली निर्णय में रख दी गई तथा अगले दिन दिनांक 14–07–2009 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये। जबकि इस भूमि से संबंधित दो दावे पहले से अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 ता 21 की पालना नही की गई और दो तारीखो में ही निर्णय पारित कर दिया गया। जब खाता विभाजन ही गलत है तो कन्वरर्जन स्वतः ही गलत हो जाता है।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 9 ने कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए फेसला किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पढ़ने मात्र से इसकी अनियमितताए दृष्टिगोचर हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के पत्र दिनांक 18–06–2009 द्वारा

राजस्व अपील अधि... बीकानेर

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना बताया गया है व इसके आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जबकि दिनांक 18–06–2009 को तो वाद दायर किया गया था एक ही दिन में प्रारंभिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यु के स्कॉप से बाहर है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आरएलडब्लयु 2018 (2) पेज 1181 पेरा 8** प्रस्तुत कर कथन किये कि नो इस्ट्रक्शन की आड में यह स्वतंत्रता नही दी जा सकती कि पक्षकार अपना दायित्व ना निभाए। प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध नजरसानी पेश की गई है। जबकि इसी आदेश व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील जैरकार है। इसलिए रिव्यु तथा अपील एक साथ नही चल सकते। रिव्यु चलने लायक नही है। रिव्यु का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में **न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2021 पेज 504, आरबीजे 2023 पेज 462, आरआरटी 2023 पेज 409, आरआरटी 2005 पेज 545** प्रस्तुत कर रिव्यु प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 28–08–2019 का है जिसके विरूद्ध यह नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 25–11–2019 को प्रस्तुत हुआ है। नजरसानी प्रार्थना प्रस्तुत करने की मियाद क्या हो इसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 30 दिन की अवधि निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1975 पेज 408 का हवाला देकर कथन किया कि जहॉ विवाद प्राइवेट पक्षकारो के मध्य हो वहॉ मियाद अवधि 90 दिवस की होगी। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मियाद के बिन्दू पर विरोध नही किया गया। अतः प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना श्रेयस्कर होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम स्वीकार कर नजरसानी प्रार्थना को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। सर्वप्रथम रिव्यु संबंधी प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश 47 नियम 1 के अनुसार Application for review of judgment.—

(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the **discovery of new and important matter or evidence** which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake **or error apparent on the face of the record** or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. क्या रिव्यु प्रार्थना पत्र व अपील एक साथ पोषणीय है?
2. क्या प्रकरण में कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुआ है?
3. क्या प्रकरण में 'ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फैस ऑफ रिकॉर्ड है?

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28–08–2019 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही अन्य पक्षकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील भी दायर की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क था कि एक ही आदेश के विरूद्ध अपील व नजरसानी दोनो नही किये जा सकते। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इस पर न्यायालय का अभिमत यह है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28–08–2019 के विरूद्ध प्रार्थी के पास दो विकल्प (अपील व नजरसानी) उपलब्ध थे। प्रार्थी द्वारा इन उपलब्ध विकल्पो में से नजरसानी का विकल्प अपनाते हुए न्यायालय हाजा में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी अन्य पक्षकार द्वारा अपील कर देने से प्रार्थी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नजरसानी पेश करने से बाधित नही हो जाता है। आदेश 41 नियम 1 (2) के आलोक में यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

रिव्यु प्रार्थना पत्र का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। इसके लिए प्रार्थी को 'एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड' तथा 'डिसकवरी ऑफ न्यू एण्ड इम्पोटेन्ट मेटर एविडेन्स(फ्रेंश फैक्टस)' साबित करना पड़ेगा।

पत्रावली के अवलोकन व उभय पक्ष की बहस से प्रकरण में यह तथ्य प्रकट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खाता विभाजन एवं दुरूस्ती का दिनांक 18–06–2009 को प्रस्तुत हुआ जिसमें आगामी तारीख पेशी 29–06–2009 रखी गई। इस तिथि को पीठासीन अधिकारी बाहर होने के कारण आगामी सुनवाई दिनांक 13–07–2009 रखी गई जिसमें सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 13–07–2009 को ही पत्रावली निर्णय हेतु रख दी गई और अगले ही दिन दिनांक 14–07–2009 को प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गए। यह निर्णय तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–06–2009 के पत्र का हवाला देकर किये गये जबकि दिनांक 18–06–2009 को तो वाद प्रस्तुत हुआ था।

राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–08–2019 में तामील प्रकिया को फर्जी व दुषित माना तथा तामील कुनिन्दा से लेकर पटवारी, तहसीलदार तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, को प्रकरण में दोषी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2009 सम्यक तामील के अभाव, बिना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मंगवाए ही विभाजन प्रस्ताव पेश कर देना, एक ही दिन में प्रारंभिक व अंतिम डिक्री जारी कर देना आदि अनियमितताओं के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह नही बताया गया कि प्रकरण में ऐसे क्या नये तथ्य प्रकट हुए है जिनसे कि प्रकरण पर पुनः विचार किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहे कि न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी कोनसी त्रुटि कारित हुई है जो कि पुनः विलोकन का आधार हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार केवल अधिवक्ता द्वारा नो इस्ट्रक्शन प्लीड करना लिया गया है। परन्तु प्रार्थी यह साबित करने मं असफल रहा कि यदि अधिवक्ता द्वारा नो इस्ट्रक्शन प्लीड किया गया था तो पक्षकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष गुणावगुण पर की गई बहस से भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया का उल्लंघन करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2009 पारित किये। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–08–2019 द्वारा अपीलाधीन न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नजरसानी के प्रार्थना पत्र में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित करने मं असफल रहे कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी क्या त्रुटि कारित की है जो कि दस्तावेजो के विपरीत हो। प्रार्थी द्वारा की गई बहस से रिव्यु के तीनो बिन्दू उनके पक्ष में साबित नही होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण मे उनके मददगार साबित नही हुए है।

7. अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–08–2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26-08-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर